कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ23(   )लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी/वि.एवं.प्रो.रा.यो./2012–13/6321   दिनांक 10/7/12

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रात्सोहन राशि योजना संशोधन नियम 2012

दिनांक 01.02.2012 को देवनारायण योजनान्तर्गत उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय मोनेटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति की आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण तथा उसमें लिये गयें निर्णयों के बिन्दु संख्या 4(चार) के तहत देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ एर्ष 2012–13 से राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के साथ–साथ विश्वविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को भी दिये जाने तथा अविवाहित छात्रा की शर्त हटाकर, नियमित अध्ययनरत छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप तथा दिनांक 26.4.12 को देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 500 स्कूटी के स्थान पर 1000 स्कूटी प्रति वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012–13 से किये जाने की सहमति दिये जाने एवम् अन्य कार्यवाही विवरण/निर्देशों को समाहित करते हुए देवनारायण योजना नियम 2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है/सम्मिलित किया जाता है।

1– नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः–

(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा ।

(2) यह नियम विशेष पिछडा वर्ग [1. बंजारां, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. रायका, रैबारी देबासी)] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना संशोधन नियम 2012 कहलायेंगें।

(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे ।

(4) यह नियम 1 अपैल 2012 से प्रभावी होगें तथा वर्ष 2012–13 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगें।

2– परिभाषाऐं :–

(1) राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।

(2) विभाग से तात्पर्य निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से है ।

(3) प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान से है ।

(4) निदेशक से तात्पर्य निदेशक, कॉलेज शिक्षा, विभाग राजस्थान से है ।

(5) प्राचार्यो से तात्पर्य राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों (कला, विज्ञान वाणिज्य, कृषि, संस्कृत), विश्वविद्यालयों, के प्राचार्य से है।

(6) देवनारायण छात्रा से तात्पर्य राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछडे वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा जो राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, के विभागों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, से है।

(6)A विभागाध्यक्ष से तात्पर्य विश्वविद्यालयों के समस्त संकाय विभागों (कला, वाणिज्य विज्ञान, कृषि, संस्कृत) के अध्यक्ष से है।

(7) मूल निवासी से तात्पर्य वह विशेष पिछडे वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा से है, जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ है तथा अभ्यार्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो ।

3– योजना का उद्देश्य :–

विशेष पिछडे वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।

4– योजना के अन्तर्गत देय लाभ :–

(1) **स्कूटी वितरण :–** राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी.सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1000 (एक हजार मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी ।

यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।

यह व्यवस्था वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ होकर आगामी आदेश तक चालू रहेगी। स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।

स्नातक डिग्री से तात्पर्य बी.ए, बी.काम, बी.एस.सी, बी.एस.सी. कृषि और शास्त्री (स्नातक संस्कृत डिग्री) से होगा।

(2) **प्रोत्साहन राशि :–** राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग की वे छात्राए जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है। उन्हें क्रमशं द्वितीय वर्ष रू. 10,000/– और तृतीय वर्ष में रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी0जी0 डिग्री प्रवेश वर्ष) में रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोतर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू. 20,000/–(बीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा।

स्नातकोतर डिग्री से तात्पर्य एम.ए, एम.कॉम और एम.एस.सी, एम.एस.सी कृषि और आचार्य (संस्कृत स्नातकोतर डिग्री) से है।

5— पात्रता :— पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :—

(1) योजना का लाभ विशेष पिछडे वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय, /विश्वविद्यालयों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों /कृषि महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है।

(2) छात्रा के माता — पिता/अभिभावक/संरक्षक/ पति की वार्षिक आय रू. 2,00,000/— (रू. दो लाख) से कम होनी चाहिए।

(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।

(4) जिन छात्राओं को देव नारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी/प्रोत्साहन राशि देय नहीं है ।

6— आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज :—

(1) राजकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति।

(2) गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(3) मूल निवास प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा दिया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(4) जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछडे वर्ग का जो राजस्व अधिकारी तहसील द्वारा जारी किया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(5) छात्रा के माता—पिता/पति, अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण—पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता—पिता नहीं होने, पति नहीं, परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक/संरक्षक का आय प्रमाण—पत्र मान्य होगा।

(6) छात्रा के एस.बी.बी.जे. बैंक बचत खाता पास बुक की फोटो प्रति जिससे भुगतान सुगमता से हो सकें ।

7— आवेदन प्रक्रिया :—

(1) विशेष पिछडे वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतयाः भरकर एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एडमिशन हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित छाया प्रतियॉ, एस.बी.बी.जे. बैंक खाता पास बुक की छोटो प्रति तथा आय प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रति वर्ष माह अगस्त की 20 तारीख तक जमा कराना होगा । आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट www.//collegeeducation.gov.in पर उपलब्ध है ।

(2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जॉच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में प्रति वर्ष 15 सितम्बर तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

8— **भुगतान प्रकिया :—**

निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में प्राचार्यो से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची बनाकर प्रथम 1000 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय, के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची बनाकर प्रथम 1000 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2012—13 से विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं को कुल 1000 (एक हजार) स्वीकृत की जाकर वितरित की जावेगी।

स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेंगी।

9— **बजट प्रावधान :—**

योजना के लागू किये जाने हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा वित्त विभाग से बजट आवंटन तथा बजट मद खुलवाकर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे ।

10— **आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :—**

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता—पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को सम्मिलित किया जावेगा।

(1) वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें । वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समरत भत्तों से है । वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / इनके बोर्ड / कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है ।

(2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।

(3) अन्य स्त्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए ।

(4) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राजस्व अधिकारी तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा ।

11— **नियमों का विनिर्णय :—**

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

नोट :— छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विकय/बेचान नहीं किया जा सकेगा ।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव
कॉलेज शिक्षा विभाग राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण/प्रोत्साहन राशि योजना हेतु आवेदन पत्र
(विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के लिए)

वर्ष 20......

छात्रा का फोटो मय स्वयं के हस्ताक्षर एवं संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया जावें

1— छात्रा का नाम :— ....

2— पिता का नाम :— ....

3— जाति :— ....
(तहसीलदार द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4— पत्र व्यवहार का पता :— ....
....
....

5— स्थायी पता :— ....
....
फोन नं0 .... पिता का मों. नं. ....

6— मूल निवास स्थान :— ....
(तहसीलदार द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7— अध्ययनरत कक्षा व संकाय :— ....
(एडमिशन हेतु फीस जमा रसीद की फोटो प्रति संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर कर संलग्न की जावें) :—

8— अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता :— ....
....

9— गत परीक्षा (वर्ष 20......... में) उत्तीर्ण का पूर्ण विवरण :—

परीक्षा वर्ष	कक्षा व रोल नं0	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय का नाम जहॉं अध्ययन किया	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम

(अंक तालिका की फोटो प्रति संस्था प्रधान से प्रमाणित कराकर संलग्न करें)

10— पिता का व्यवसाय :— ....

11— पिता की वार्षिक आय :— ....
(प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें)

12— छात्रा का बैंक खाता संख्या (एस.बी.बी.जे.) एवं बैंक का पूर्ण पता :— ....
....

13— राज्य सरकार / भारत सरकार से कोई अन्य छात्रवृति/ आर्थिक सहायता मिल रही हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित करें :—

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कालम 1 से 13 तक में अंकित की गयी समस्त सूचनाऍं पूर्णतया सही है ।

संलग्न :— प्रमाण पत्र/दस्तावेज की सूची

हस्ताक्षर छात्रा

पिता/पति/अभिभावक का घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी/श्रीमती .... राजकीय महाविद्यालय ....की कक्षा .... में वर्ष 20................ के लिए प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है । छात्रा अविवाहित/विवाहित/परित्यक्ता/विधवा है और पूर्णतया मेरे पर आश्रित है । मेरी समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रू0 .... (रू0 ....) है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है ।

हस्ताक्षर पिता/पति/अभिभावक
(पिता /पति नहीं होने की स्थिति में ही अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किये जावे)

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा ....पुत्री/पत्नि श्री .... ने वर्ष 20................ के लिए इस महाविद्यालय की कक्षा ....संकाय .... में दिनांक .... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है । छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया गया विवरण कार्यालय रिकार्ड के अनुसार पूर्णतया सही है । छात्रा को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कूटी / प्रोत्साहन राशि / आर्थिक सहायता के लिए अभिशंषा की जाती है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर संस्था प्रधान / प्राचार्य
दिनांक ....
पद मुहर अंकित की जावें ।